न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— नया नंबर 2023/01

रजु दिनांकः :— 03.10.2023

जगदीश पुत्र कजोड उम्र 53 वर्ष जाति मीना निवासी ढाणी बालेरा तन देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।

बनाम

1. हीरा लाल पुत्र कजोड उम्र 45 वर्ष जाति मीना निवासी ढाणी बालेरा तन देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत देवली जरिये— सरपंच ग्राम पंचायत देवली पंचायत समिति लालसोट जिला—दौसा राज0

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत देवली बाबत् पटटा संख्या—416 दिनांक 09.12.2009 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मुकदमा नंबर :— नया नंबर 2023/02

रजु दिनांकः :— 03.10.2023

जगदीश पुत्र कजोड उम्र 53 वर्ष जाति मीना निवासी ढाणी बालेरा तन देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।

बनाम

1. दयाचंद पुत्र कजोड मीना निवासी ढाणी बालेरा तन देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत देवली जरिये— सरपंच ग्राम पंचायत देवली पंचायत समिति लालसोट जिला—दौसा राज0

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत देवली बाबत् पटटा संख्या—414 दिनांक 09.12.2009 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

मुकदमा नंबर :— नया नंबर 2023/03

रजु दिनांकः :— 03.10.2023

जगदीश पुत्र कजोड उम्र 53 वर्ष जाति मीना निवासी ढाणी बालेरा तन देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र कजोड मीना निवासी ढाणी बालेरा तन देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत देवली जरिये— सरपंच ग्राम पंचायत देवली पंचायत समिति लालसोट जिला—दौसा राज0

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत देवली बाबत् पटटा संख्या—415 दिनांक 09.12.2009 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितः— 01. अधिवक्ता निगरानीकार श्री एन.एल मीना

02. अधिवक्ता गैर निगरानीकार श्री ओ.पी.सैनी

निर्णय दिनांकः 21/05/2024

इस प्रकरण के समान नेचर की समान पक्षकारों के मध्य विचाराधीन अन्य निगरानी उनवानी जगदीश बनाम दयाचन्द मुकदमा नम्बर 2023/02 निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत देवली बाबत पटटा संख्या 414 दिनांक 09.12.2009, व जगदीश बनाम कन्हैया लाल मुकदमा नम्बर 2023/3 निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत देवली बाबत पटटा संख्या 415 दिनांक 09.12.2009 में वाद की विषय वस्तु व प्रकृति समान होने के कारण तीनों निगरानियों का एकसाथ निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

संक्षेप में निगरानियों के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार जगदीश पुत्र कजोड जाति मीना द्वारा पटटा संख्या 414, 415, 416 ग्राम पंचायत देवली तहसील लालसोट के आदेश दिनांक 09.2.2009 के विरूद्ध ये तीनों निगरानी यह कथन करते हुए पेश की है कि ग्राम पंचायत देवली की ढाणी बालेरा में स्थित आबादी भूमि पर प्रार्थी/निगरानीकार का वर्षो पुराना कब्जा है जिसके मौके पर पशु बांधने के बाडे, छप्परपोश, टीनशैड, पाटोल आदि बनी हुई है जिस पर गैर निगरानीकार अप्रार्थी दिनांक 10.03.2023 को गिरोह बनाकर कब्जा करने आ गये और विवाद होने पर कथित पट्टे स्वयं के नाम होने का हवाला देने लगे जिनका ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है जिससे व्यथित होकर ये निगरानिया पेश की है। निगरानीकार के आगे अभिवचन है कि ग्राम पंचायत देवली के चुनौतीग्रस्त पट्टे विधि एवम् न्यायिक प्रक्रियाओं के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। कथित पट्टो पर न तो दायर होने की दिनांक अंकित है और ना ही रसीद संख्या दर्ज है, पंचायत कार्यालय में भी प्रश्नगत पट्टो का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पट्टे निगरानीकार की कब्जे शुदा भूमि पर कब्जा करने की नियत से बनाये गये फर्जी साबित होते है। आगे निगरानीकार के अभिचवन है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो अनुसार किसी भी आबादी भूमि में पट्टा लेने से पूर्व

आवेदन मय शुल्क दिया जाता है तथा आवेदन उपरान्त आपत्ति नोटिस जारी किये जाते है तथा वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है। इस पट्टे की प्रक्रिया का हवाला पंचायत प्रोसिडिंग रजिस्टर में दिया जाता है। लेकिन प्रश्नगत पट्टे किस समय किस तारीख को जारी किये गये इनका लेस मात्र भी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में हवाला नहीं है। उक्त पट्टे फर्जी एवम बिना कब्जे के ही जारी किये गये है जबकि पट्टो में अंकित भूमि पर निगरानीकार का कई वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी निगरानीकार की कब्जे शुदा भूमि पर कानूनन किसी दीगर व्यक्ति को पट्टे जारी नहीं किये जा सकते जबकि ग्राम पंचायत देवली द्वारा मनमाने ढंग से अवैध रूप से निगरानीकार की कब्जेशुदा भूमि के गैर निगरानीकारों को प्रश्नगत पट्टे जारी कर दिये जो निरस्तनीय है। जानकारी के विषय में निगरानीकार ने अभिवचन किये है कि दिनांक 10.03.2023 को गैर निगरानीकार द्वारा जबरन निगरानीकार की आबादी भूमि पर कब्जे का प्रयास करने पर जब पट्टों की नकल प्राप्त की ,तब हुई है। देरी माफी के विषय में निगरानीकार का के कथन है कि किसी भी विधि विरूद्ध आदेश को चुनौती देने के लिए समय सीमा का प्रश्न आडे नही आता है फिर भी देरी माफ करने के लिए दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है। इस प्रकार निगरानीकार द्वारा प्रश्नगत पट्टों को फर्जी करार देते हुए निरस्त करवाने का निवेदन किया है।

निगरानिया दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर–निगरानिकारों को तलब किया गया। पट्टों की पत्रावलियॉ/अभिलेख ग्राम पंचायत देवली से तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवली ने अपने पत्रांक 189, 190, 191 दिनांक 04.07.023 व 2024/एसपी1 दिनांक 12.02.2024 में पटटा संख्या 414, 415, 416 दिनांक 09.12.2009 की पत्रावलिया/अभिलेख एवम् रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया है। गैर–निगरानीकार हीरालाल, कन्हैया व दयाचन्द द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 बाबत् निरस्त करवाने निगरानीयॉ निम्न उज्ररातों के साथ पेश किये कि निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिकाए प्रतिपक्षी के वर्षो से कब्जेशुदा एवम् पट्टशुदा भूखण्ड जिनके पट्टा संख्या 414, 415, 416 दिनांक 09.12.2009 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से जारी किये गये है एवम् जो प्रश्नगत पट्टे दिनांक 15.12.2020 को उपपंजीयक लालसोट द्वारा पंजीबद्ध है, के विरूद्ध पेश की है। आपत्तिकर्ता गैर निगरानीकारों का कहना है कि जो दस्तावेज एक बार पंजीबद्ध अथवा रजिस्टर्ड हो चुके है उन्हे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है जबकि निगरानीकार द्वारा विधि के विरूद्ध जाकर उक्त निगरानी याचिकाए इस न्यायालय के समक्ष पेश की है जो बार्ड बॉय लॉ होने के कारण प्रथमतः ही काबिले खारिज है। जानकारी के विषय में गैर–निगरानिकारों के आक्षेप है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टों की निगरानीकार को पूर्ण जानकारी प्रारम्भ से ही रही है क्योंकि गैर–निगरानीकार एवम निगरानीकार पास पास ही रहते है तथा पडौसी है लेकिन जानकारी होते हुए भी प्रकरण समय सीमा में पेश नहीं किये गये जबकि परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 58 एवम् 59 के अनुसार मियाद 3 वर्ष निर्धारित है। इस प्रकार निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानियॉ मियाद बाहर होने के तथ्य अंकित कर प्रतिपक्ष द्वारा निगरानियॉ खारिज करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी की नकल वकील निगरानीकार को दिलवाई जाकर जवाब तलब किया गया। वकील निगरानीकार द्वारा अपने जवाब में गैर–निगरानीकारों के तथ्यों का यह कहते हुए खण्डन किया है कि प्रश्नगत पट्टो के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के पृष्टांकन के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बिना रिकॉर्ड के प्रश्नगत पट्टे व आदेश प्रथमतः ही कानूनन वॉईड हो जाता है। प्रस्तुत निगरानिया सटीक आधारो पर पेश की गई है। रजिस्ट्रेशन के बिन्दू पर वकील निगरानीकार का कहना है कि पट्टो का रजिस्ट्रेशन हो जाने से पट्टो की वैधानिकता पर कोई कानूनन प्रभाव नही पड सकता क्योंकि पंचायती राज अधिनियम राज0 1994 की धारा 97 के तहत ये निगरानिया पेश की गई है जिसमें विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये पट्टे या आवंटन के आदेश को निगरानी के जरिये

चुतौती दी जाती है तो पट्टे या आवंटन के दस्तावेजों का पंजीकरण इसकी वैधानिकता के न्याय निर्णयन करने हेतु वर्जना के रूप में नहीं माना जावेगा। पंजीकरण एक अनुषांगिक घटना है। इसलिए गैर–निगरानीकार की आपत्ति पूर्णतया निराधार, अविधिक है। गैर–निगरानीकारों द्वारा अपनी आपत्ति में कही भी यह नही बताया है कि प्रस्तुत निगरानियॉ विधि से किस प्रकार वर्जित है। अपने जवाब में निगरानीकार का यह भी कहना है कि प्रश्नगत पट्टे कानूनन वॉइड है जिनका संबंधित ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड भी नही है उक्त पट्टो को चुनौती देने हेतु कानूनन कोई समयसीमा निर्धारित नही है तथा लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 58 एवम् 59 वादपत्र पर लागू होते है न की निगरानी पर। निगरानिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पेश की गई है जिसकी कोई समयावधि तय नहीं है। इस प्रकार गैर–निगरानीकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्राथना पत्र निराधार होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान वादपत्र पर लागू होते है निगरानीयो पर नही, आपत्तिया प्रकरणो को देरी करने की गरज से पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जावे।

निगरानियॉ पर जवाब पेश न करते हुए सीधे ही बहस की गई। विद्वान वकील निगरानीकार एवम् गैर–निगरानीकार की निगरानियॉ व प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर एक साथ बहस सुनी गई। दौराने बहस निगरानीकारों के योग्य अधिवक्ता ने अपनी निगरानियों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये है कि ग्राम पंचायत देवली द्वारा कथित पट्टे संख्या 414, 415, 416 दिनांक 09.12.2009 को गैर निगरानीकार कन्हैयालाल, हीरालाल, दयाचन्द तीनो भाईयों के पक्ष में जारी किये गये है जिनके संबंध में गैर निगरानीकार ग्राम पंचायत द्वारा लिखित में बताया है कि उक्त पट्टो को कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप बिना रिकॉर्ड के प्रश्नगत पट्टे फर्जी पट्टे है जो विधि विरूद्ध है जिनको चैलेज करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। पट्टे रजिस्ट्रर्ड हो चुके है किन्तु पट्टे फर्जी है। पट्टे कहा से जारी हुए किसने जारी किये, कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। रिकॉर्ड के अभाव में प्रश्नगत पट्टे कानूनन वॉइड है जिनको चुनौती देने हेतु कानूनन कोई समयसीमा निर्धारित नही है तथा लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 58 एवम् 59 वादपत्र पर लागू होते है न की निगरानी पर। निगरानिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पेश की गई है जिसकी कोई समयावधि तय नहीं है। इस प्रकार गैर–निगरानीकारों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्राथना पत्र निराधार होने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान वादपत्र पर लागू होते है निगरानीयो पर नही। गैर–निगरानीकारो द्वारा ये आपत्तिया प्रकरणो को देरी करने की गरज से पेश की है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जावे तथा निगरानियॉ स्वीकार की जाकर प्रश्नगत पट्टे निरस्त किये जावे। जानकारी के बिन्दू पर अधिवक्ता निगरानीकार के तर्क है कि हमारे खिलाफ सिविल सूट होने पर हमे कथित पट्टो की जानकारी हुई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने अपने अभिवाको के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टान्त पेश किये है :–

साईटेशन : शांति देवी विश्नोई बनाम राजस्थान सराकर : 2016(4)डीएनजे (राज.) 1799 राजस्थान उच्च न्यायालय।

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996–नियम 157–पट्टा रद्ध करने हेतु निगरानी– जिला कलेक्टर ने पट्टा निरस्त किया– पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नही था–नियम 157(2) के उल्लघंन में पट्टा जारी किया–मौके पर निर्माण, झोपडी या कच्चा मकान होना साबित करने हेतु साक्ष्य नही–मोके के फोटो भी पेश नहीं किये–साबित करने हेतु सामग्री नहीं की याचीगण के पास अन्य मकान अथवा मकान की जगह नहीं है–निर्णीत, याचीगण पट्टा स्वीकृत करवाने हेतु योग्य हीं थे तथा कलेक्टर ने पट्टा सही निरस्त किया।

2011(2)आरआरटी 1219 राजस्थान उच्च न्यायालय, प्रभातीलाल बनाम अति0 जिला कलक्टर सीकर राजस्थान।

उक्त वर्णनी दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि – भूमि का आवंटन–रेस्पोण्डेन्ट नं. 2 के पक्ष में किया गया आवंटन पत्रावली उपलब्ध न होने के आधार पर निरस्त किया– अति. जिला कलेक्टर ने प्रार्थी के पक्ष में बाद में जारी पट्टे को भी निरस्त किया– समान भूमि का ही पट्टा प्रार्थी को जारी किया– रेस्पोण्डेन्ट नं. 2 को जारी पट्टे को चुनौती नहीं दी– निर्णीत, आदेश किसी विधिक शिथिलता से ग्रस्त नहीं है व यथावत रखा गया।

2017(3)सीजे(CIV)(RAJ) घेवर चन्द बनाम राजस्थान सरकार।

उक्त दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 –धारा 97– क्या एक पट्टा जो पहले से पंजीकृत है, उसकी वैधानिकता को चुनौती दिये जाने की कोई वर्जना है?–निर्धारित, नही– किसी स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये पट्टे या आवंटन के आदेश को पुनरीक्षण के जरिये चुनौती दी जाती है तो इस पट्टे या आवंटन के दस्तावेज का पंजीकरण इसकी वैधानिकता का निर्णयन करने हेतु वर्जना के रूप में नहीं माना जावेगा।

पट्टे का पंजीकरण केवल एक आनुषंगिक घटना है तथा जब पट्टा उसे प्राप्त किये जाने वाले नियमों के विरोधकारी पाया जाय तो केवल उसका पंजीकृत हो जाना एक सुरक्षित शरण के रूप में नहीं माना जा सकता–ऐसे पट्टे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द का आनुषंगिक प्रभाव उसके पंजीकरण को निष्प्रभावी तथा गैर आनुषंगिक ठहरा देगा।

विद्वान अधिवक्ता गैर–निगरानीकार ओ.पी. सैनी ने अपनी जवाब में निगरानियों की परमिशन पर दलीले पेश की है कि यदि निगरानीकार का हित है तो वे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 में बोर्ड से अनुमति लेते किन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। निगरानियों के चरण संख्या 4 में इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है इस कथन से निगरानीकार स्वयं एस्टोप्ड है। इन्होने ग्राम पंचायत पर ही आरोप लगाए है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में पट्टों की फोटो प्रतिया ही पेश की है जबकि कानूनन प्रमाणित प्रतियॉ पेश की जानी चाहिए थी। जानकारी के बिन्दू पर वकील प्रतिपक्ष के तर्क है कि निगरानीकार ने स्वयं बताया है कि वे पडोसी है और 2009 से मुझे हैरान परेशान कर रहे है। यदि परेशान कर रहे है तो जानकारी होनी चाहिए। निगरानीकार को 2009 से जानकारी नहीं थी इसका संतोषजनक कारण साबित नहीं किया है। इनको पूर्व से ही पट्टो की जानकारी रही है। दूसरा निगरानीकार ने ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया जो ये साबित करते हो कि विवादित भूमि पर निगरानीकार का कब्जा है। केवल कह देने मात्र से या ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत की रिपोर्ट से प्रश्नगत पट्टों को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। प्रश्नगत पट्टे तत्कालीन सरपंच रामपति देवी द्वारा दिनांक 09.12.2009 को जारी किये गये है जिनका नवीनीकरण 20.11.2020 को तत्कालीन सरपंच रेखा कंवर द्वारा नवीनीकरण किया गया है। पट्टे के संबंध में तत्कालीन सरपंच द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रश्नगत पट्टे उनके द्वारा जारी किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा पटटो पर लोन लेने हेतु पंचायत ने अदेय प्रमाण पत्र 26.03.2021 भी जारी किया है। इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत पर आरोप है कि पट्टे फर्जी है। यदि पट्टे अवैध है तो नवीनीकरण के दौरान ग्राम पंचायत व कोरम ने ऐतराज क्यों नहीं जताया। अब राजनैतिक प्रभाव में आकर ग्राम विकास अधिकारी गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है। प्रश्नगत पट्टे रजिस्टर्ड है जिनके खिलाफ रिलिफ के लिए सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट है। निगरानीकार को सीपीसी की धारा 96 के तहत निगरानी की परमिशन लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई है और ये निराधार हैरान परेशान करने के उद्धेश्य से निगरानियॉ पेश की है जो खारिज योग्य है अतः निगरानियॉ खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

विद्वान अधिवक्ता गैर–निगरानिकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है–

न्यायिक दृष्टांत 2021(1) डीएनजे राजस्थान पेज 186

वकील गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा गोपाल पटेल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय में प्रतिपादित किया है कि जिला कलक्टर अथवा किसी निगरानी अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा बातिल नहीं किया जा सकता–रजिस्टर्ड पट्टा केवल सिविल कोर्ट द्वारा अपास्त किया जा सकता है।

राजस्थान कोर्ट मैन्युनल भाग–1 के नियम 17, 20 की नजीरें।

उक्त नजीरों में प्रतिपादित किया गया है कि रेवेन्यु कोर्टस मॅन्युअल के नियम 17 के अन्तर्गत बोर्ड उस फैसले या डिक्री की नकल प्रस्तुत करने से मुक्त नहीं कर सकता जिसके विरूद्ध अपील की गई हो। द्वितीय अपील में ट्रायल कोर्ट के फैसल या डिक्री की प्रति पेश करने से अपीलाण्ड को मुक्त किया जा सकता है।

आरआरटी 2021(1) 19 वीएन कृष्णा मूर्ति बनाम रविकुमार व अन्य।

उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है– विक्रय करार को रद्ध करने हेतु वाद डिक्री किया– अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु अनुमति चाही किन्तु उच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान करने से इंकार किया क्योंकि वे व्यथित व्यक्ति नहीं है– अपीलाण्ट्स को व्यथित व्यक्ति होना नहीं कहा जा सकता न वे विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से पाबन्द है– जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी के आधार पर विक्रय–पत्र निष्पादित किये– विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री सर्वबन्धक निर्णय नहीं है और यह केवल वाद के वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच बन्धनकारी है न की अपीलाण्ट्स पर– वादपत्र अथवा वाद कार्यवाहियों में विक्रय विलेखों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया– निर्णीत, अपील पेश करने को अनुमति स्वीकार करने के लिए प्रार्थना–पत्र खारिज करने के आदेश में शिथिलता नहीं है।

आरआरटी 2021(2) 1443 काना बनाम मुबारिक हुसैन व अन्य।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के परिशीलन के उपरान्त पट्टे संख्या 414, 415, 416 दिनांक 09.12.2009 ग्राम पंचायत देवली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे दिनांक 09.12.2009 को जारी किये गये है जिन पर रशीद संख्या तो अंकित है किन्तु बुक नम्बर व दायर दिनांक अंकित नहीं है। प्रश्नगत पट्टो का दिनांक 20.11.2020 को तत्कालीन सरपंच रेखा कॅवर द्वारा नवीनीकरण किया गया है। ग्राम पंचायत में प्रश्नगत पट्टो का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के वकील निगरानीकार के तथ्य ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवली के पत्रांक देवली/2024/एसपी–1 दिनांक 12.02.2024 से सही साबित होते है जिसमें प्रश्नगत पट्टो का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत देवली में उपलब्ध नहीं होना बताया है। विद्वान अधिवक्ता गैर–निगरानीकार ने ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट के तर्क दिये है किन्तु ग्राम पंचायत के पत्रांक के विरूद्ध गैर–निगरानिकारों द्वारा कोई अपील/शिकायत उच्च प्राधिकारी को की हो या ग्राम पंचायत का पत्रांक यह प्रभावोन्मुक्त ठहराया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। दस्तावेजों के अभाव में केवल मौखिक कथनों को आधार नहीं बनाया जा सकता। प्रश्नगत पट्टों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटटे उपपंजीयक लालसोट द्वारा रजिस्ट्रर्ड है। यहॉ न्यायालय को दो बिन्दूओ का निर्धारण करना है कि क्या उक्त निगरानीया मियाद बाहर है? दूसरा क्षेत्राधिकार से बाहर है?। मियाद के बिन्दू पर गैर–निगरानीकारों के योग्य अधिवक्ता के तर्क है कि निगरानीकार को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत बोर्ड से अनुमति लेनी चाहिए थी, किन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। तथा निगरानीकार एवम् गैर–निगरानीकार पास रहते

अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

पडौसी होने से प्रश्नगत पट्टों की निगरानीकार को प्रारम्भ से ही जानकारी थी फिर भी भी प्रकरण समय सीमा में पेश नहीं किये गये जबकि परिसीमा अधिनियम अनुच्छेद 58 एवम् 59 के अनुसार मियाद 3 वर्ष निर्धारित है। वकील निगरानीकार के तर्क की रिकॉर्ड के अभाव में प्रश्नगत पट्टे कानूनन वॉइड है जिनको चुनौती देने हेतु कानूनन कोई समयसीमा निर्धारित नही है तथा लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 58 एवम् 59 वादपत्र पर लागू होते है न की निगरानी पर। निगरानिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पेश की गई है जिसकी कोई समयावधि तय नहीं है। कानूनी दृष्टांत शांति देवी विश्नोई बनाम राजस्थान सरकार : 2016(4)डीएनजे (राज.) 1799 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी में जिला कलेक्टर द्वारा पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नही होने के कारण पट्टा निरस्त किया, को सही माना है। पारित निर्णय की रोशनी में इन प्रकरणों में यहा पट्टों की वैधता के संबंध में यह कहना उचित है कि प्रश्नगत पट्टे रिकॉर्ड के अभाव में वैध नहीं ठहराये जा सकते। रिकॉर्ड के अभाव में प्रश्नगत पट्टे कानूनन वॉइड है जिनको चुनौती देने हेतु कानूनन लिमिटेशन के तकनीकी बिन्दू को बाधा के रूप में करार नहीं दिया जा सकता है चूंकि निगरानीकारों द्वारा देरी माफी के लिए दफा–5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है इस दिशा में विलम्ब माफ किया जा सकता है जो इन प्रकरणों में न्याय–संगत प्रतीत होता है। यह सही है कि लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 58 एवम् 59 वादपत्र पर लागू होते है न की निगरानी पर। पट्टो की निगरानिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पेश की जाती है। इस प्रकार मियाद का बिन्दू प्रार्थी निगरानीकार के पक्ष में ही साबित होता है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के कानूनी बिन्दू प्रकरणों के क्षेत्राधिकार में होने, कोर्ट फीस पूर्ण होने, कॉज ऑफ एक्शन निहित होने के कारण इन प्रकरणों पर साबित नहीं हो रहे है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाना उचित है।

दूसरा बिन्दू प्रश्नगत रजिस्टर्ड पट्टो के खिलाफ रिलिफ के लिए सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट है। इस बिन्दू के विनिश्चिय हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का अवलोकन किया गया तथा अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रश्नगत पट्टे कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी नहीं किये गये है चुंकि पट्टों की प्रोसिंडिंग का ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत पट्टे नियमों के विरोधकारी पाये जाते है। पट्टो का पंजीकरण केवल एक आनुषंगिक घटना है जो पट्टों की वैधानिकता के निर्णयन हेतु वर्जना पैदा नहीं करता है। वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017(3)सीजे(CIV)(RAJ) घेवर चन्द बनाम राजस्थान सरकार में भी इन्ही सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है फलस्वरूप यह न्यायिक दृष्टांत इस बिन्दू पर पूर्णतः चस्पा होता है जिससे वकील निगरानीकार के अभिवाको को बल मिलता है। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानियों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। इस न्यायालय द्वारा ही निगरानियों का निर्णय किया जाना है। प्रकरणों में विद्वान अधिवक्ता गैर–निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो मे उद्धरित सिद्वान्त प्रकरणों के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप न्यायिक दृष्टांत गैर निगरानीकार अधिवक्ता की कोई मदद नहीं करते। अतः निगरानियॉ स्वीकार योग्य सिद्ध होती है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के कानूनी बिन्दू प्रकरणों पर साबित नहीं होने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रश्नगत पट्टो का रिकॉर्ड नहीं होने, वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत के प्रकरणों पर चस्पा होने पर प्रस्तुत निगरानियॉ कानूनी बिन्दू होने के कारण स्वीकार की जाती है तथा प्रश्नगत पट्टे 414 ,415, 416 दिनांक 09.12.2009 ग्राम पचायत देवली तहसील लालसोट जिला दौसा निरस्त किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/05/2024 ...को उभयपक्षो की मौजूदगी में सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनमोहनी मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
लालसोट,दौसा